न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
14/03/2025	2025/138	03.06.2025	19.01.2026

1. कंवर चन्द पुत्र श्री रामबक्श जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राग बाघोली तहसील रागगढ़ जिला अलवर राजस्थान ।

1/1 कलावती देवी पत्नी स्वः श्री कंवरचन्द जाति ब्राह्मण निवासी सुन्दर कॉलोनी रामगढ जिला अलवर राज.।

1/2 सुदर्शन कुमार पुत्र स्वः श्री कंवरचन्द जाति ब्राह्मण निवासी सुन्दर कॉलोनी रागगढ़ जिला अलवर राज.।

1/3 कृष्ण कुमार शर्मा पुत्र स्वः श्री कंवरयन्द जाति ब्राह्मण निवासी सुन्दर कॉलोनी रागगढ़ जिला अलवर राज.।

—अपीलार्थी

बनाम

1. तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर, रामगढ़ जिला अलवर ।

—रेस्पाडेन्ट

अपील विरुद्ध तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर साहब रामगढ़ दिनांक 17.12.2012

01—श्री कैलाश चन्द शर्मा —वकील अपी0
02—श्री दीपक गीना (पैरोकार सरकार) —राजकीय अधिवक्ता

—:निर्णय:—

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरूद्ध तहसीलदार रामगढ के निर्णय दिनांक 17.12.2012 वाके ग्राम बांघोली तहसील रामगढ़ स्वीकार किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष विद्वान वकील की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 224/1020 रकवा 13 विस्वा हाल खरारा नम्बर 344 रकबा 0.16 हैक्टेयर वाके ग्राम बांघोली तहसील रामगढ़ जिला अलवर राजस्थान में है जो आराजी अपीलार्थी को आवंटित हुई थी। जिस आराजी के सम्बन्ध मे करतार सिंह वगैहरा द्वारा गिन अपीलार्थी व अन्य के विरूद्ध एक अपील संख्या 136 प्रवेश तिथि 30.07.1986 न्यायालय कलक्टर कम सेटलमेन्ट कमिश्नर, अलवर के समक्ष पेश की गयी। जिस अपील संख्या 136 दिनांक 30.07.1986 का निस्तारण अन्य पत्रावली संख्या 83 दिनांक 13.08.1986 व 84 दिनांक 13.08.1986 के साथ न्यायालय कलक्टर कम सेटलमेन्ट कमिश्नर अलवर द्वारा दिनांक 26.07.1995 को करते हुए तीनो अपीले अपीलान्टान स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कम मैनेजिग आफिसर साहब, रामगढ़ के आदेश दिनांक 30.05.1981 व 12.10.1981 निरस्त कर पत्रावली इस निर्देश के साथ तहत अदालत तहसीलदार कम मैनेजिग आफिसर, रामगढ़ को रिमाण्ड की गयी। कि उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर राजस्व रिकोर्ड एवं इस निर्णय के सभी बिन्दुओ को ध्यान में रखते हुए पुनः निस्तारण किया जावे। न्यायालय कलक्टर कम सेटलमेन्ट कमिश्नर, अलवर के आदेश मुताबिक न्यायालय तहसीलदार कम मैनेजिंग आफिसर रामगढ़ जिला अलवर द्वारा तीनो ही प्रकरणो का निस्तारण एक साथ करते हुए पत्रावली संख्या 136 का निस्तारण दिनांक 17.12.2012 को करते हुए

जिला कलक्टर
अलवर (राज.)

आराजी हाल खसरा नम्बर 347 रकबा 0.06 हैक्टेयर गत खसरा नम्बर 229 रकबा 0.05 हैक्टेयर की खातेदारी मृतक रागबक्श के वारिसान अपीलार्थी व अन्य वारिसान के हक मे जारी कर दी गयी। लेकिन विवादित आराजी साबिक खरारा नम्बर 224/1020 हाल खरारा नम्बर 344 रकबा रकबा 0.16 हैक्टेयर की सनद् खातेदारी जारी नही की गयी। जिस विवादित आदेश दिनांक 17.12.2012 की जानकारी गिन अपीलार्थी को पूर्व मे नही थी। विवादित आराजी हाल खरारा नम्बर 344 रकबा 0.16 हैक्टेयर मे हाल ही मे पटवारी हल्का द्वारा कब्जे काश्त मे मजाहमत पैदा करते हुए कहां कि आराजी साबिक खरारा नम्बर 224/1020 हाल खरारा नम्बर 344 रकबा 0.16 हैक्टेयर की खातेदारी न्यायालय कम मैनेजिंग आफिसर, रामगढ द्वारा तुम्हे प्रदान नही की गयी है और उक्त आराजी का आवंटन भी न्यायालय कलक्टर कम सेटलमेन्ट कमिश्नर, अलवर द्वारा रद्द व निरस्त किया जा चुका है। इसलिए अब वह अपीलार्थी को बेदखल करेगा। इस पर मिन अपीलार्थी ने तहत अदालत न्यायालय तहसीलदार कम मैनेजिंग आफिसर, रामगढ़ के आदेश दिनांक 17/12/2012 की नकल दिनांक 24.04.2013 को प्राप्त की। जिस विवादित आदेश दिनांक 17/12/2012 तहसीलदार कम मैनेजिंग आफिसर, रामगढ से व्यथित होकर यह अपील श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत है। उक्त अपील विवादित आदेश दिनांक 17/12/2012 के विरूद्ध है कि जिस विवादित आदेश की जानकारी दिनांक 16.04.2013 को होने पर विवादित आदेश की नकल दिनांक 22.04.2013 को प्राप्त होने पर अपील अन्दर अवधि बिला देरी के पेश है। फिर भी जो समय दिनांक 17/12/2012 से आज दिन तक का जानकारी के अभाव, नकल लेने व लिखा पढ़ी कराने, कानूनी मशवरे मे व्यतीत हुआ है। वह काबिले क्षमा होने है कि जिस हेतु पृथक से आवेदन पत्र दफा – 5 कानून मियाद अधिनियम पेश है।

विवादित आदेश मे पटवारी हल्का खोह द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 20/3/12 बेबुनियाद वो मौके के विपरीत है। तहत अदालत द्वारा उक्त विवादित आदेश पारित करते समय इस तथ्य पर गौर नही किया गया कि वादग्रस्त आराजी पर कब्जा अपीलार्थी का अपने बुजुर्गो के समय से चला आ रहा है तथा ताहाल काबिज दाखिल है। तहत अदालत द्वारा इस तथ्य पर गौर करना चाहिए था कि वादग्रस्त आराजीयात की बाबत मिन अपीलार्थी के हक में खातेदारी इंतकाल संख्या 416 तहसीलदार रामगढ़ द्वारा राजस्व अभियान कैम्प मे दिनांक 14.01.1983 को मंजूर वो स्वीकृत किया जा चुका है। कि जिसकी प्रति इस अपील के साथ संलग्न की जा रही है। जिससे यह साबित वो प्रमाणित है कि उक्त विवादित आराजी की बाबत मिन अपीलार्थी के हक मे खातेदारी प्राप्त हो चुकी है। जिस इंतकाल का अमल राजस्व अभिलेख मे हुआ। लेकिन तहत अदालत द्वारा इस दस्तावेज को तरकिनार करते हुए उक्त विवादित आदेश पारित कर अपने विवादित आदेश के द्वारा मिन अपीलार्थी को खातेदारी अधिकार प्रदत्त नही किये गये। तहत अदालत द्वारा उक्त विवादित आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर अमल नही किया गया कि उक्त वादग्रस्त आराजी की बाबत मिन अपीलार्थी के पक्ष मे सनद पट्टा संख्या दिनांक 16.12.1982 जारी की गयी। जिसके आधार पर ही मिन अपीलार्थी के पक्ष में खातेदारी इंतकाल तस्दीक किया गया। तहत अदालत द्वारा उक्त विवादित आदेश में यह दर्ज करना भी कतई सहम है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 344 रकबा 0.16 हैक्टेयर प्रशासन गांवो के संग अभियान मे वर्ष 2010 मे आरक्षित हुआ है। क्योकि उक्त आराजी किसी भी प्रकार से आरक्षित योग्य नही है और जब मिन अपीलार्थी उक्त आराजी मुतनाजा पर काबिज दाखिल है और मिन अपीलार्थी को उक्त आराजी मुतनाजा को आरक्षित करने की ऐवज मे राज्य सरकार द्वारा कोई मुआवजा या क्षतिपूर्ति का भी भुगतान नही किया गया है। तहत अदालत द्वारा आलौच्य आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी की ओर से पेशकर्दा रिकोर्ड व दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य का अवलोकन सही प्रकार से नही किया और रिमाण्ड पत्रावली का निष्कर्ष निकालने में अहम कानूनी भूल की है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार कर तहत अदालत तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर, रामगढ़ की आज्ञा दिनांक 17.12.2012 इस हद तक अपास्त की जावे कि विवादित आराजी मुतनाजा की बाबत खातेदारी अधिकार प्रदान नही किया गया। तहत

जिला कलक्टर
अलवर (राजस्थान)

अदालत को आदेशित किया जावे कि वो विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 224/1020 रकबा 13 विस्वा हाल खरारा नम्बर 344 रकबा 0.16 हैक्टेयर वाके ग्राग बांधोली तहसील रागगढ़ जिला अलवर की बाबत गिन अपीलार्थी के पक्ष गे खातेदारी प्रदान की जावे।

राजकीय अधिवक्ता पेरोकार रारकार ने अपनी बहरा में अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया गया है कि न्यायालय कलक्टर कम सेटलमेंट कमिश्नर अलवर के निर्णय दिनांक 26.07.1995 के द्वारा तीनों अपीलों का निर्णय पारित करते हुए तहसील कम मैनेजिंग ऑफिसर, रागगढ़ के निर्णय दिनांक 30.05.1981 व 12.10.1981 को निरस्त किया जाकर संबंधित पट्टे निरस्त किये गये और प्रकरण इस निर्देश के साथ पुनः प्रतिप्रेषित किया गया कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का सागुवित अवसर दिया जाकर एवं राजस्व रिकॉर्ड एवं न्यायालय के निर्णय के सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए प्रकरण पुनः निस्तारण किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को नियमानुसार नोटिस जारी किया गया एवं साक्ष्य सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट ली गई। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 20.03.2012 के अनुसार आराजी खसरा नं. 344 रकबा 0.16 है0 ग्राम बांधोली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2010 में आरक्षित हुआ है एवं गत आराजी खसरा नं0 229 रकबा 5 बिस्वा हाल खसरा नं0 347 रबवा 0.06 है0 ग्राम बाधोली कंवर चंद के पिता रामबक्श पुत्र दुलीचंद शर्मा निवासी बांधोली को कीमतन आवंटन हुआ था। नामांतकरण सं0 351 गैर खातेदारी दर्ज है। आवंटन दिनांक 12.10.1981 को हुआ था जिसकी खातेदारी सनद सं0 403 दिनांक 16.12.1982 द्वारा प्राप्त कर ली। जमाबन्दी नकल संवत 2048 ग्राम बांधोली शामिल है किन्तु निर्णय दिनांक 30.05.1981 व 12.10.1981 निरस्त होने के कारण पट्टे निरस्त किये गये है। हाल रिकॉर्ड में खसरा नं0 347 रकबा 0.06 है0 सिवाय चक कस्टोडियन दर्ज रिकॉर्ड है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.12.2012 के द्वारा गत खसरा नं0 229 रकबा 5 बिस्वा हाल खसरा नं0 347 रकबा 0.06 है0 वाके ग्राम बांधोली की खातेदारी मृतक रामबक्श पुत्र दुलीचंद जाति ब्राह्मण निवासी बांधोली के विधिक वारिसान के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश पारित किया गये हैं जो उचित एवं नियमानुसार पारित किये गये हैं। अतः अपील अपीलांट मय हर्जा खर्चा खारिज फरमावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर चिंतन मनन किया गया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना–पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2012 के विरूद्व दिनांक 20.05.2013 को पेश की गयी है जो लगभग अपीलान्ट को दिनांक 16.04.2013 को सर्वप्रथम जानकारी होने पर नामांतकरण की नकल आदि प्राप्त कर दिनांक 22.04.2013 को अपील अन्दर पेश की जा रही है मियाद बिंदू प्रार्थना–पत्र दफा 5 पेश किया गया है जो लगभग 5 माह के विलम्ब से पेश की गई है परन्तु उक्त विवादित अपीलीय प्रकरण में अपीलांट का हित निहित है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रूख अपनाते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करने का सिद्धांत प्रतिपादित किया हुआ है। अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

अपीलांट का मुख्य कथन है कि न्यायालय कलक्टर कम सेटलमेंट कमिश्नर के निर्णय दिनांक 26.07.1995 के द्वारा प्रकरण से संबंधित तीन पत्रावली प्रकरण सं0 83 दर्ज दिनांक 13.08.1986, प्रकरण सं0 84 दर्ज दिनांक 13.08.1986 एवं प्रकरण सं0 136 दर्ज दिनांक 30.07.1986 का निस्तारण एक साथ निर्णय करते हुए प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.05.1981 व 12.10.1981 को निरस्त किया जाकर प्रश्नगत प्रकरणों से संबंधित पट्टे भी निरस्त किये गये तथा तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर रामगढ़ को प्रतिप्रेषित कर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया कि राजस्व रिकॉर्ड एवं निर्णय के सभी बिन्दुओं का

ध्यान रखते हुए पुनः निस्तारण किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.12.2012 विवादित आराजी हाल खरारा नं0 344 रकबा 0.16 है0 प्रशारान गांव के सांग अभियान वर्ष 2010 में आरक्षित किया हुआ बताया गया है जबकि अपीलांट श्री कंवरचंद पुत्र रामबक्श ब्राह्मण ग्राम बांधोली को आराजी खसरा नं0 224/1020 रकबा 13 बिस्वा व 164 मिन रकबा 8 बिस्वा दिनांक 12.10.1981 को आवंटित हुई जिसका रानद् पट्टा 404 दिनांक 16.12. 1982 के द्वारा नामांतकरण सं0 416 दिनांक 14.01.1983 को मंजूर हो कर अपीलांट के नाम खातेदारी दर्ज हुई। माननीय न्यायालय कलक्टर कम रोटलगेंट कमिश्नर अलवर के द्वारा तीनों अपीलों को निरस्त करने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आराजी खसरा नं0 344 रकबा 0.16 है0 के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अपने निर्णय में सिर्फ प्रशासन गावं के संग अभियान 2010 में आराजी खरारा नं0 344 रकबा 0.16 है0 को आरक्षित होना बताया गया जबकि उक्त आराजी अपीलांट की खातेदारी की आराजी थी। जिसके संबंध में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावाली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट को साबिक आराजी खसरा नं0 224/1020 रकबा 13 बिस्वा हाल 344 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम बांधोली अपीलांट को आवंटित होकर सनद पट्टा सं0 404 दिनांक 16.12.1982 प्राप्त कर नामांतकरण सं0 416 दिनांक 14.01.1983 से खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए थे परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में उक्त खातेदारी आराजी के संबंध में किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। सिर्फ उक्त आराजी को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2010 में आरक्षित होना बताया गया है, जो कि स्पष्ट करता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टियों का परिशीलन नहीं किया। जो कि विधिविरूद्ध है। अतः उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को उक्त विवादित आराजी हाल खसरा नं0 344 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम बांधोली पर कोई समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.12.2012 को विवादित आराजी साबिक ख० न0 224/1020 रकबा 13 बिस्वा हाल ख० नम्बर 344 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम बांधोली तहसील रामगढ जिला अलवर की हद तक निरस्त किया जाता है। साथ ही प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाण्ट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उक्त विवादित आराजी के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके व कब्जे की जांच कर नियमानुसार पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)